न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस)

मुकदमा संख्या :— 11/2018

प्रार्थी		अप्रार्थी
श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर	बनाम	1. श्री हरीश महेश्वरी पुत्र ब्रजमोहन माहेश्वरी उम्र 48 वर्ष जाति माहेश्वरी निवासी शारदा पाडा, जैसलमेर तहसील व जिला जैसलमेर (राज.) 2. मैसर्स ललित एंड कंपनी, आसनी रोड, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राज.) 3. श्री प्रकाश सोलंकी पुत्र श्री ओकार सिंह निवासी 167 मारूती नगर, सांवर रोड, इंदौर 4. मैसर्स मुनीमजी एंड सन्स, ए-1, चांदपोल अनाज मंडी, जयपुर प्रथम, जयपुर (राज.)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011)

उपस्थित :–

1. श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री हरीश माहेश्वरी।
3. अप्रार्थी संख्या 03 व 04 की ओर से श्री प्रकाश सोलंकी।

–:: आदेश ::– दिनांकः 28.01.2020

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। यह है की प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.09.2017 को 03:00 पीएम पर मैसर्स ललित एंड कंपनी, आसनी रोड, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राज.) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी मैसर्स ललित एंड कंपनी, आसनी रोड, जैसलमेर जिला जैसलमेर दुकान/संस्थान पर विकेता श्री हरीश महेश्वरी पुत्र ब्रजमोहन माहेश्वरी उम्र 48 वर्ष जाति माहेश्वरी निवासी शारदा पाडा, जैसलमेर तहसील व जिला जैसलमेर कारोबार कर रहा था, उसने दुकान का विकेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसका अपना अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र मौके पर नही होना बताया। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर मिर्च पाउडर मुनीमजी ब्राण्ड को खादय प्रदार्थ के रूप में विक्रय कर रहा था। विकेता एवं मालिक को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या ए5 की एक प्रति मौके पर मालिक विकेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात मिर्च पाउडर मुनीमजी ब्राण्ड 500-500 ग्राम के चार पॉलीपैक लिये जिसके पेटे 400 रूपये नगद देकर गवाहन, विकेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। प्रार्थी ने खरीद सुदा मिर्च पाउडर मुनीमजी ब्राण्ड के 500-500 ग्राम की 04 थैली में से चार नमूने लिये पॉलीपैक मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर चिपकाएं एवं लेबलों पर डीओं कोड एवं कमांक नम्बर एन-747 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये और लेबलों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

Scanned by CamScanner

डीओ, जैसलमेर की हस्ताक्षर सुदा पेपर स्लीप एन-747 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप ऊपर धागे से बाधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मुहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद पदार्थ का विवरण एन-747 मिर्च पाउडर मुनीमजी ब्राण्ड लिख कर हस्ताक्षर किये। चारो नमूनो भागो को अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जो उन्होने पढ्कर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये प्रार्थी स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को स्वयं के द्वारा दिनांक 27.09.2017 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 26.09.2017 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/26249-51 दिनांक 26.10.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./846/Act/2017/847 दिनांक 06.10. 2017 अनुसार उक्त नमूना मीथ्याछाप पाया गया। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली,कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/स्वी./एन-747/2744 दिनांक 22.01.2018 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। यह है कि उक्त केस में विक्रेता 1. विक्रेता व मालिक श्री हरीश माहेश्वरी पुत्र बृजमोहन महेश्वरी उम्र 48 वर्ष जाति माहेश्वरी निवासी शारदा पाडा, जैसलमेर तहसील व जिला जैसलमेर (राज.) 2. मैसर्स ललित एंड कंपनी, आसनी रोड, जैसलमेर तहसील व जिला जैसलमेर (राज.) 3. श्री प्रकाश सोलंकी पुत्र ओकार सिंह सोलंकी निवासी 167 मारूती नगर, सांवर रोड, इंदौर (राज.) 4. मैसर्स मुनीमजी एंड सन्स, ए-1, चांदपोल अनाज मंडी, जयपुर प्रथम, जयपुर ने मीथ्याछाप मिर्च पाउडर मुनीमजी ब्राण्ड का विक्रय करके खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

2. अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा परिवाद के संबंध में दिनांक 17.01.2020 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर जबाब पेश कर निवेदन किया कि मिर्च पाउडर मुनीमजी ब्राण्ड के जॉच हेतु दिये गये थे जो कि मीथ्याछाप पाया गया है। मेरे द्वारा मिर्च पाउडर मुनीमजी ब्राण्ड मैसर्स मुनीमजी एंड सन्स, 19 महावर नगर अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर से खरीदा गया है। जिसमे मेरे द्वारा कोई फेर बदल नही किया गया है। भविष्य में निर्मित सामग्री उत्तम क्वालिटी रहे इस बात का पूरा ध्यान रखूगा। अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध कार्यवाही को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

न्याय निर्णये अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

Scanned by CamScanner

3\. अप्रार्थी संख्या 03 के द्वारा परिवाद के संबंध में दिनांक 17.01.2020 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर जबाब पेश कर निवेदन किया कि मिर्च पाउडर मुनीमजी ब्राण्ड के जॉच हेतु दिये गये थे जो कि मीथ्याछाप पाया गया है। मिर्च पाउडर मुनीमजी ब्राण्ड मैसर्स मुनीमजी एंड सन्स, 19 महावर नगर अन्नपूर्णा रोड, निर्मित है। भविष्य में निर्मित सामग्री उत्तम क्वालिटी रहे इस बात का पूरा ध्यान रखूगा। अप्रार्थी संख्या 03 के विरूद्ध कार्यवाही को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4\. प्रार्थी व अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बहस के तथ्यों का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विवेचन पश्चात इस निष्कर्स पर पहुंचा हूँ कि खादय सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./846/Act/2017/847 दिनांक 06.10.2017 के अनुसार मिर्च पाउडर मुनीमजी ब्राण्ड का उक्त नमूना मीथ्याछाप पाया गया हैं। वही अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब संतोषप्रद प्रतित नही होता है तथा अप्रार्थीगण अपने जबाब के समर्थन मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पा रहा है। जिससे अप्रार्थीगण पर मीथ्याछाप स्तर के मिर्च पाउडर मुनीमजी ब्राण्ड का विक्रय करने के लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्यय सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी श्री हरीश माहेश्वरी जो मैसर्स ललित एंड कंपनी, आसनी रोड, जैसलमेर तहसील व जिला जैसलमेर फर्म के प्रापराईटर एवं अप्रार्थी संख्या 03 श्री प्रकाश सोलंकी जो मैसर्स मुनीमजी एंड सन्स, ए–1, चांदपोल अनाज मंडी, जयपुर प्रथम, जयपुर फर्म के प्रापराईटर द्वारा मीथ्याछाप स्तर की खाद्य वस्तु मिर्च पाउडर मुनीमजी ब्राण्ड विक्रय के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 03 पर 25,000/– अक्षरे पचीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगण से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी संख्या 01 व 03 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 28.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

Scanned by CamScanner